राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या..........1808 / 2015...................................... जिला ....बीकानेर...

उनवान : मैसर्स एम्को लिमिटेड, मेडिकल कॉलेज के पीछे, बीकानेर बनाम
1. अपीलीय प्राधिकारी, वाणि. कर, बीकानेर 2. सहायक आयुक्त, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, बीकानेर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

19 / 11 / 2015

अपीलार्थी द्वारा यह अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र सहित अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के स्थगन प्रार्थना–पत्र संख्या 50 / 2015–16 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 17.09.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक आयुक्त, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, बीकानेर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2012–13 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.06.2015 अन्तर्गत वेट अधिनियम की धारा 24 पारित करते हुए कुल मांग राशि रूपये 3,42,46,721 / – सृजित की गयी। अपीलार्थी द्वारा उक्त मांग की वसूली की कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.09.2015 से अस्वीकार किये जाने से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में बकाया मांग राशि रूपये 3,08,21,722 / – की वसूली के स्थगन का निवेदन किया गया है।

अपीलार्थी के अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी श्री एम. एल. पाटौदी एवं सुश्री ईशु जैन तथा विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा की बहस सुनी गयी।

उभय पक्ष की बहस पर मनन करने तथा अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों के अवलोकन के पश्चात, **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** प्रकरण में वसूली योग्य बकाया मांग राशि **रूपये 3,08,21,722 / –** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें।

उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

19.11.2015

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर